

डिक्री बमूकदमें इब्दाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 21/2022

वादी

1. भागीरथ पुत्र रामाकिशन
2. हीरालाल पुत्र रामाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी कठौती, तहसील जायल, जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नोरतन पुत्र रामाकिशन
2. हनुमानप्रसाद पुत्र रामाकिशन
3. तुलछीदेवी पुत्री रामाकिशन समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीगण कठौती तहसील जायल
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री अम्बालाल पारासर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री नवरतन मेघवाल एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नवरतन मेघवाल एडवोकेट की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भागीरथ के हक बंट में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1320 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1.1250 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा रखा गया है, एवं खसरा नम्बर 1423 रकबा 1.1898 हैक्टेयर में से 0.5909 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 हीरालाल के हक बंट में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1320 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1.1250 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है एवं खसरा नम्बर 1423 रकबा 1.1898 हैक्टेयर में से 0.5989 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 नोरतन के हक बंट में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 442 रकबा 0.6313 हैक्टेयर पुरा व खसरा नम्बर 1625 रकबा 0.8903 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 हनुमानप्रसाद के हक बंट में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 1.6026 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाति है।
5. तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुश्तैनी भूमि में हक त्याग से भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा होने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/12/2022 को जारी किया गया

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दै	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नाट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल